न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.), मौजमाबाद, जिला--जयपुर

पीठासीन अधिकारी : बलबीर सिंह, R.A.S.

प्रकरण : वाद

मुकदमा नम्बर 642/2023

1. मोइनुद्दीन पुत्र मोहम्मद खां उर्फ महमूद खां जाति मुसलमान निवासी झाग तहसील मौजमाबाद।

--वादीगण

बनाम

1. समसुदीन पुत्र मोहम्मद खां उर्फ महमूद खां जाति मुसलमान निवासी झाग तहसील मौजमाबाद।
2. अरबुन बानो पुत्री अहमद रमजान जाति मुसलमान निवासी झाग तहसील मौजमाबाद।
3. इरफान अली पुत्र अहमद रमजान जाति मुसलमान निवासी झाग तहसील मौजमाबाद।
4. बातून पत्नी अहमद रमजान जाति मुसलमान निवासी झाग तहसील मौजमाबाद।
5. बिलाल अहमद पुत्र अहमद रमजान जाति मुसलमान निवासी झाग तहसील मौजमाबाद ।
6. मोहम्मद सलीम पुत्र अहमद रमजान जाति मुसलमान निवासी झाग तहसील मौजमाबाद।
7. मोहम्मद सलीम पुत्र अहमद रमजान जाति मुसलमान निवासी झाग तहसील मौजमाबाद।
8. रूकसार बानो पुत्री अहमद रमजान जाति मुसलमान निवासी झाग तहसील मौजमाबाद।
9. रेशमा बानो पुत्री अहमद रमजान जाति मुसलमान निवासी झाग तहसील मौजमाबाद।
10. रेहाना बानो पुत्री अहमद रमजान जाति मुसलमान निवासी झाग तहसील मौजमाबाद।
11. सलमान पुत्र अहमद रमजान जाति मुसलमान निवासी झाग तहसील मौजमाबाद।
12. तहसीलदार तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

--प्रतिवादीगण

वादः-- बाबत घोषणा दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्त0 अधि0

उपस्थित : 1. श्री अब्दुल रसीद अधिवक्ता वादी।

2. श्री शेख अनवर अली प्रतिवादी संख्या 1 से 11

3. पेरोकार सरकार उपस्थित ।

: : आदेश : :

दिनांक :-- 13/05/24

वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम झाग मे स्थित खाता संख्या 13 के आराजी न0

उपखण्ड अधिकारी

1228 रकबा 2.6500 हैक्टेयर, कुल किता 01 कुल रकबा 2.6500 है0 भूमि मे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 11 का मुताबिक जमाबंदी राजस्व रेकार्ड में हिस्सा दर्ज है तथा इसी अनुसार खातेदार काश्तकार है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 11 के दादा का नाम महमूद खां उर्फ मोहम्मद खां था जिनको परवरिश में मोहम्मद एवं महमूद को बोलचाल में एक ही समझते कभी मोहम्मद तो कभी महमूद के उच्चारण से पुकारते थे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 11 के दादा को उक्त दोनो नामों से पुकारते थे जिसके चलते उक्त आराजी का पर्चा वादी के पिता के बोलते नाम महमूद खां के नाम पर्चा जारी हो गया तब से लकर आज तक पूर्व में वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता/दादा एवं वर्तमान में वादी एवं प्रतिवादीगण अपनी उक्त आराजी पर कब्जे काश्त है एवं सरकारी लगान अदा करते आ रहे है। वादी व प्रतिवादी 1 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 11 के दादा ग्रामीण परिवेश के चलते अनपढ व्यक्ति थे जो राजस्व रिकार्ड मे कम समझते थे जिनको राजस्व रिकार्ड में अपने दर्ज नाम की जानकारी नही थी तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के एवं अपने बड़े पुत्र अहमद रमजान जो वर्तमान में फौत हो चुका है के सम्पूर्ण दस्तावेजों में पिता की वल्दियत मोहम्मद खां दर्ज करवा दी क्योंकि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता का महमुद खां व मोहम्मद खां बोलचाल से उक्त दोनो नामों से जाना व पहचाना जाता था जिसके चलते वादी, प्रतिवादी संख्या 1 के पिता की वल्दियत मोहम्मद खां सम्पूर्ण दस्तावेजो में दर्ज करवा दी गई। राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता का नाम महमूद खां होने के चलते वादी के पिता की फौती नामांतकरण भी राजस्व कर्मियों ने वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता/दादा का नाम महमूद खां ही दर्ज कर दिया जबकि वादी एवं प्रतिवादीगण के समस्त दस्तावेजात में पिता का नाम मोहम्मद खां दर्ज है तथा इसी आधार पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना चाहिए। हाल ही में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बड़े भाई अहमद रमजान की मृत्यु होने के पश्चात उनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 से 11 के फौती नामांतकरण खुलवाने हेतु पटवार हल्का से बात की तो पटवार हल्का ने उनके वारिसान के नाम फौती नामांतकरण भर दिया तथा दस्तावेजों में अहमद रमजान के पिता का नाम मोहम्मद खां दर्ज है इसकी वजह से उक्त नामांतकरण तस्दीक नहीं हो सकता जो वर्तमान में भी प्रकियाधीन चल रहा है। वाद कारण दिनांक 20.07.2023 को पटवारी एवं तहसीलदार द्वारा दुरूस्ती करने से इन्कार के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः श्रीमान वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस आशय की डिकी फरमावे की वादग्रस्त आराजीयात में दर्ज चालू राजस्व अभिलेखों में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के पिता/दादा का नाम महमूद खां हजफ किया जाकर उसके स्थान पर मोहम्मद खां दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावें। व

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किए गए। प्रतिवादी सं. 1 से 11 की ओर से श्री शेख अनवर अली अधिवक्ता ने वकालत पत्र मय ईकबालिया जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर डिकी किया जावे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

उप खण्ड अधिकारी
(शाहपुरा)

वादीगण के वाद के सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या 12 की ओर से पेश रिपोर्टनुसार राजस्व ग्राम झाग के खाता संख्या 13 के ख0न0 1228 रकबा 2.65 है0 पर अहमदरमजान, मईनुदीन, समसुदीन पुत्र महमूद खॉ कौम मुसलमान सा0देह0 हिस्सा बराबर खातेदार दर्ज है। ग्राम झाग नामान्तकरण संख्या 420 दिनांक 12.06.1981 से महमद पुत्र रहीम बक्स कौम मुसलमान सा0देह की विरासत से अहमद रमजान, मईनुदीन व समसुदीन पिता महमद कौम मुसलमान सा0 बदस्तुर दर्ज हुआ जो आदिनांक तक चला आ रहा ह। खसरा नम्बर 1228 का साबिक खसरा नम्बर 1062 है। जो कि महमूद पुत्र रहीम वक्श को जरिये आवटन से प्राप्त हुई है। जिसका हाल खसरा नम्बर 1228 रकवा 2.65 है0। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का झाग व संलग्न फर्द मौका रिपोर्ट के अनुसार महमूदखॉ और मोहम्मद खॉ दोनो एक ही व्यक्ति है। वर्तमान जमावन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 13 आराजी ख0न0 1228 रकवा 2.65 है0 पर नामान्तरण संख्या 1752 पर अहमद रमजान पुत्र महमूद खॉ हिस्सा 1/3 पर विरासत का नामान्तकरण प्रकियाधीन है। साथ ही वादी की ओर से साक्ष्य के रूप में मोइनुद्दीन पुत्र मोहम्मद खां उर्फ महमूद खां का शपथ–पत्र पेश किया जिन्होने अपने शपथ पत्र मे वाद में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के पिता/दादा का नाम महमुद खां को हजफ कर मोहम्मद खां दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान कराने बाबत निवेदन किया दस्तावेज साक्ष्य के रूप में मतदाता पहचान पत्र की छाया प्रति प्रदर्श–1, राशनकार्ड की छाया प्रति प्रदर्श--2 के रूप में प्रदर्शित करवाये गये।

हमने अधिवक्ता वादी की बहस को सुना। अधिवक्ता वादी ने अपनी वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुऐ वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के पिता/दादा का नाम वादग्रस्त आराजीयात में मुहमुद खां के बजाय मोहम्मद खान दर्ज किये आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया ।

हमने अधिवक्ता वादीगण की बहस को सुनकर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज राजस्व ग्राम झाग की जमावन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 13 के आराजी ख0न0 1128 रकबा 2.6500 है0 कुल किता 01 कुल रकवा 2.6500 है0 म काश्तकार का अहमदरमजान पुत्र महमूद खा हिस्सा 1/3, मईनुद्दीन पुत्र महमूद खा हिस्सा 1/3, समसुदीन पुत्र महमूद खां हिस्सा 1/3 जाति मुसलमान दर्ज है। । पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेज मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति प्रदर्श–1 ,राशन कार्ड की छायाप्रति प्रदर्श–2 के अवलोकन से ज्ञात है कि वादी के पिता का नाम मोहम्मद खां दर्ज है। तहसीलदार रिपोर्ट में भी महमुद खां एवं मोहम्मद खा दोनो नाम एक ही व्यक्ति होना बताया गया है। तहसीलदार मौजमाबाद की रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात व साक्ष्य शपथ पत्र के आधार पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 11 पिता/दादा महमुद खां एवं मोहम्मद खां दोनो नाम जाना जाकर एक ही व्यक्ति होना प्रतीत होता है। अतः वादीगण का वाद दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर साबित है। अतः वादीगण का यह वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उप खण्ड अधिकारी
मौजमाबाद (जयपुर)

—::आदेश::—

वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत् घोषणा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम झाग की जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 13 के आराजी ख0न0 1128 रकबा 2.6500 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 2.6500 है0 मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के पिता/दादा का नाम महमूद खां के स्थान पर मोहम्मद खां उर्फ महमूद खां दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है। वादग्रस्त आराजीयात मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के पिता/दादा का नाम महमूद को राजस्व रिकॉर्ड मे विलोपित करने का आदेश दिया जाता है। निर्णय अनुसार राजस्व रिकोर्ड मे अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार मौजमाबाद के नाम तहरीर जारी की जावे। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा पृथक से मुर्तिब किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कमी की जावे।

निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।

(बलबीर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, मौजमाबाद
जिला जयपुर

उक्त आदेश आज दिनांक 13/05/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की गोल मोहर से जारी किया गया।

(बलबीर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, मौजमाबाद
जिला जयपुर